न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– गिरधर सिंह आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:– 157 / 2022 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1. यशवन्त सिंह आत्मज अमर सिंह निवासी डाबला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा।

– प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बनेड़ा।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित:– स्वंय (प्रार्थी)

निर्णय

दिनांक 07.02.2023

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत दिनांक 02.08.2022 को प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार ग्राम डाबला पटवार हल्का डाबला भू–अभिलेख निरीक्षक डाबला तहसील बनेड़ा के खाता सं. 427 के आराजी नं. 2179, 2190, 2191, 2222, 2334, 2336 कुल किता 6 रकबा 15.6563 हैक्टेयर, खाता सं. 428 के आराजी नं. 1551, 178, 205, 206, 207, 2207, 2213, 2342, 2346, 2347, 2348, 2356, 2411, 2412, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2424, 2426, 2439, 646, 648, 658, 659, 660 कुल किता 29 रकबा 29.5039 है0, एवं खाता सं. 429 के आराजी नं. 2345, 2423, 647 कुल किता 3 रकबा 6.0449 है0 भूमि जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 अनुसार जसवंतसिंह पुत्र अमरसिंह के नाम सामलाती दर्ज है।

अमर सिंह की मृत्योपरान्त दौराने नामांतरण प्रार्थी का नाम यशवन्तसिंह पुत्र अमरसिंह के बजाय जसवंतसिंह पुत्र अमरसिंह दर्ज हो गया। जबकि प्रार्थी का असली नाम यशवन्तसिंह पुत्र अमरसिंह है तथा उपरोक्त आराजीयात पर प्रार्थी यशवन्तसिंह पुत्र अमरसिंह का ही कब्जा चला आ रहा है तथा वर्तमान में जब प्रार्थी ने उपरोक्त आराजीयात संबंधी नकले / दस्तावेज निकलवाये तो जानकारी हुई की वादी का नाम यशवन्तसिंह की जगह जसवंतसिंह दर्ज रेकार्ड है।

अतः जरिये उपरोक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थी अपना नाम जसवंतसिंह पुत्र अमरसिंह की बजाय नाम यशवन्तसिंह पुत्र अमरसिंह दर्ज रेकार्ड करवाने हेतु निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। पटवार हल्का डाबला से रिपोर्ट प्राप्त की गई। पटवार हल्का डाबला द्वारा दिनांक 20.10.2022 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। पटवार हल्का डाबला ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया कि प्रार्थी के परिवार का सजरा निम्नानुसार है:– अमरसिंह पिता रघुनाथ सिंह राजपूत (मृत्यु) के दो पुत्र जोध सिंह (जीवित) व यशवन्त सिंह (जीवित) तथा पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। प्रार्थी ने बताया कि प्रार्थी के बड़े भाई वर्तमान में ग्राम माण्डा तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़ में निवास करते है। ग्राम डाबला में उपस्थित मौबिरान ने बताया कि प्रार्थी का जन्म यहां नहीं हुआ है। ग्राम डाबला में आते जाते रहते है परन्तु इनका वास्तिविक नाम दस्तावेजों के आधार पर यशवन्त सिंह हमे पता है। प्रार्थी के पास उपलब्ध दस्तावेज में नाम जसवन्त सिंह न होकर यशवन्त सिंह पिता अमर सिंह दर्ज है तथा निवास का पता सी–7 पुलिस लाईन कोटा बारां रोड़ कोटा दर्ज है। गांव में इन्हे जसवंत सिंह एवं यशवन्त सिंह दोनों नामों से जानते है। अतः नाम शुद्ध किया जाना उचित है।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों, प्रस्तुत जमाबन्दी व राजस्व रिकार्ड तथा प्रकरण में पटवार हल्का डाबला से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थी यशवन्त सिंह पुत्र

अमर सिंह राजपूत स्वंय उपस्थित हुये तथा निवेदन किया की दौराने नामान्तरण प्रार्थी का नाम यशवन्त सिंह पिता अमर सिंह राजपूत के बजाय जसवंत सिंह पिता अमर सिंह राजपूत दर्ज हो गया जो गलत है अतः इसे सही किया जावें। प्रार्थी की बहस सुनी गई व पैरोकार सरकार स्वंय उपस्थित हुए तथा निवेदन किया कि पटवार हल्का डाबला द्वारा प्राप्त जवाब अनुसार प्रार्थी के परिवार का सजरा निम्नानुसार हैः– अमरसिंह पिता रघुनाथ सिंह राजपूत (मृत्यु) के दो पुत्र जोध सिंह (जीवित) व यशवन्त सिंह (जीवित) तथा पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। प्रार्थी ने बताया कि प्रार्थी के बड़े भाई वर्तमान में ग्राम माण्डा तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़ में निवास करते है। ग्राम डाबला में उपस्थित मौबिरान ने बताया कि प्रार्थी का जन्म यहां नहीं हुआ है। ग्राम डाबला में आते जाते रहते है परन्तु इनका वास्तिविक नाम दस्तावेजों के आधार पर यशवन्त सिंह हमे पता है। प्रार्थी के पास उपलब्ध दस्तावेज में नाम जसवन्त सिंह न होकर यशवन्त सिंह पिता अमर सिंह दर्ज है तथा निवास का पता सी–7 पुलिस लाईन कोटा बारां रोड़ कोटा दर्ज है। गांव में इन्हे जसवंत सिंह एवं यशवन्त सिंह दोनों नामों से जानते है। अतः नाम शुद्ध किया जाना उचित है।

उपरोक्त के अवलोकन व सरकारी पैरोकार द्वारा प्रस्तुत जवाब/बहस तथा कानूनी प्रावधानों व दृष्टान्तों के मद्देनजर यह स्पष्ट है कि ग्राम डाबला पटवार हल्का डाबला भू–अभिलेख निरीक्षक डाबला तहसील बनेड़ा के खाता सं. 427 के आराजी नं. 2179, 2190, 2191, 2222, 2334, 2336 कुल किता 6 रकबा 15.6563 हैक्टेयर, खाता सं. 428 के आराजी नं. 1551, 178, 205, 206, 207, 2207, 2213, 2342, 2346, 2347, 2348, 2356, 2411, 2412, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2424, 2426, 2439, 646, 648, 658, 659, 660 कुल किता 29 रकबा 29.5039 है0, एवं खाता सं. 429 के आराजी नं. 2345, 2423, 647 कुल किता 3 रकबा 6.0449 है0 भूमि प्रार्थी के नाम सामलाती दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी के पिता अमर सिह पिता रघुनाथ सिंह राजपूत की मृत्यु के दौरान नामान्तरण के वक्त प्रार्थी का नाम यशवन्त सिंह पिता अमर सिंह राजपूत के बजाय जसवंत सिंह पिता अमर सिंह दर्ज हो गया जिसे सही किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। ग्राम डाबला पटवार हल्का डाबला भू–अभिलेख निरीक्षक डाबला तहसील बनेड़ा के खाता सं. 427 के आराजी नं. 2179, 2190, 2191, 2222, 2334, 2336 कुल किता 6 रकबा 15.6563 हैक्टेयर, खाता सं. 428 के आराजी नं. 1551, 178, 205, 206, 207, 2207, 2213, 2342, 2346, 2347, 2348, 2356, 2411, 2412, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2424, 2426, 2439, 646, 648, 658, 659, 660 कुल किता 29 रकबा 29.5039 है0, एवं खाता सं. 429 के आराजी नं. 2345, 2423, 647 कुल किता 3 रकबा 6.0449 है0 भूमि में सह खातेदार प्रार्थी जसवंत सिंह पिता अमर सिंह बजाय यशवन्त सिंह पिता अमर सिंह किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। तहसीलदार बनेड़ा उक्तानुसार जमाबन्दी में शुद्धि करें।

निर्णय आज दिनांक 07.02.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(गिरधर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा